निरीक्षण टिप्पणी ग्राम पत्यौरा तहसील हमीरपुर।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	:-	सन्ध्या तिवारी
पद नाम	:-	जिलाधिकारी हमीरपुर
निरीक्षण का दिनांक	:-	2–1–2015

दिनांक 2–1–2015 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा शीतकालीन भ्रमण के अंतर्गत तहसील हमीरपुर के ग्राम पत्यौरा का भ्रमण कर चौपाल लगायी गयी एवं ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना गया। चौपाल के दौरान उपजिलाधिकारी हमीरपुर,तहसीलदार हमीरपुर,खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर एवं ग्राम स्तरीय कर्मचारी उपस्थित रहे।

चौपाल के दौरान सर्वप्रथम ग्राम समाजवादी पेंशन योजना का सत्यापन किया गया। ग्राम में 134 व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन योजना हेतु चयन किया गया है। ग्रामवासियों के समक्ष सूची पढकर सुनाई गयी। किसी ग्रामवासी ने सूची के अंतर्गत पढे गये नामों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गयी।

ग्राम में 192 लाभार्थियों को वृद्वावस्था पेंशन मिल रही है। बतसिया पत्नी भगौना,झिन्गू पुत्र रामधीन का खाता नम्बर अंकित नहीं किया गया है। निर्देश दिये गये कि उक्त लाभार्थियों को तत्काल खाता नम्बर बैंक भेजकर विवरण पत्र में अंकित किया जाये। खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जिन व्यक्तियों का नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं ऐसे लोगों को नाम वृद्वावस्था पेंशन हेतु बढवाये जायें।

ग्राम में 17 व्यक्तियों को विकलांग पेंशन मिल रही है। सुनैना पुत्री धनीराम नेत्रहीन है उसका विकलांग प्रमाण पत्र भी नहीं बना है। खण्ड विकास अधिकारी हमीरपुर को निर्देश दिये गये कि तत्काल इन्हें जिला अस्पताल भेजकर विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने की कार्यवाही कर अवगत करायें। मुख्य चिकित्साधिकारी हमीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मरीज के आंखों के इलाज हेतु जानकीकुंड,चित्रकूट भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ग्राम में पात्र व्यक्तियों के चिन्हांकन सम्बन्धी सर्वे का कार्य पूर्ण होना बताया गया।

स्वच्छ शौचालय योजना के अंतर्गत ग्राम में 405 व्यक्तियों के शौचालय बने हैं,जो पूर्व के वर्षों के हैं। इस वर्ष एक भी शौचालय मिलना नहीं बताया गया।

ग्राम में स्वच्छ पेयजल हेतु 71 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि पानी की टंकी से पूरे गांव में पानी नहीं पहुंच पाता है। अधिशाषी अभियन्ता जल निगम सर्वे कराकर आवश्यक कार्यवाही करें।

रसोइयों द्वारा मानदेय न मिलने की शिकायत की गयी। बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर मानदेय की धनराशि भिजवाना सुनिश्चित करें।

ग्राम में वरासत दर्ज न होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं लाया गया। ग्राम में सभी आवंटियों का अपनी भूमि पर कब्जा है। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत संज्ञान में नहीं लायी गयी।

ग्रामवासियों द्वारा चकरोड पर कब्जे की शिकायत की गयी। तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि कर्मचारियों की टीम लगाकर नाप करायें तथा चकरोड से कब्जा हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी हमीरपुर।

संख्या– 440 /पी0ए0 दिनांक जनवरी 6, 2015

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।

1–आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर।
3–मुख्य चिकित्साधिकारी हमीरपुर।
4–अधिशाषी अभियन्ता जल निगम हमीरपुर।
5–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर।
6–उपजिलाधिकारी, हमीरपुर।
7–खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।।
8–तहसीलदार सरीला को अनुपालनार्थ।
9–सामान्य लिपिक कलेक्ट्रेट हमीरपुर।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।